न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 108 / 2024 एवं 102 / 2024

प्रार्थीगण :—

1. सुनील विश्नोई पुत्र श्री हीरारामजी, जाति विश्नोई निवासी मकान संख्या 30, हनुमाननगर, फिंच तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

ब ना म

अप्रार्थीगण :—

1. अर्जुनराम पुत्र भानारामजी, जाति विश्नोई निवासी हनुमाननगर, फिंच तहसील लूणी, जिला जोधपुर
2. पोकरराम पुत्र श्री फुसारामजी,
3. भवरूराम पुत्र श्री फुसारामजी
4. हरलाल पुत्र श्री फुसारामजी जातियान विश्नोई निवासीगण ग्राम फिंच तहसील लूणी जिला जोधपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी
   प्रॅफॉर्मा पक्षकार
6. नाबालिग जसराज एवं नाबालिग रविना पुत्र / पुत्री ओमाराम संरक्षक माता मंगली पत्नी ओमाराम
7. मंगली पत्नी ओमाराम
8. परमेश्वरी पुत्री हीराराम जातियान विश्नोई, निवासीगण ग्राम फिंच तहसील लूणी तहसील लूणी जिला जोधपुर।

———

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

उपस्थिति : —

प्रार्थना पत्र संख्या 108 / 2024 में

1. प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 एवं 6 से 8 की ओर से अनुपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 5 राजकीय पैरोकार उपस्थित।

प्रार्थना पत्र संख्या 102 / 2024 में

1. प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति उपस्थित
2. अप्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा उपस्थित।

दिनांक :— 05-7-2025

—: आदेश :—

प्रार्थना पत्रों का सक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र संख्या 108 / 2024 अन्तर्गत धारा 111, 128 भू—राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की सहखातेदारी की कृषि भूमि वाके राजस्व ग्राम हनुमाननगर, पटवारी हल्का फिंच,

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

तहसील लूणी, जिला जोधपुर में खसरा संख्या 950/420 की कुल रकबा 0.4208 हैक्टेयर आयी हुई स्थित हैं जिसमें प्रार्थी का 2/3 हिस्सा हैं एवं अप्रार्थी संख्या छः से आठ का 1/3 हिस्सा है। जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या छः से आठ बहैसियत सहखातेदार के मालिक काबिज काश्त हैं। प्रार्थी अपने खसरा संख्या 950/420 रकबा 0.4208 हैक्टेयर कृषि भूमि में निहित अपने हिस्से की भूमि को विकसित करवाना चाहता हैं इस उद्देश्य से उक्त सम्पूर्ण खसरें की भूमि का सीमाज्ञान कवाकर अपने हिस्से की भूमि को अलग करवाकर उसकी चारदीवारी का निर्माण करवाना चाहता हैं जिस हेतु प्रार्थी उक्त सम्पूर्ण खसरे का सीमाज्ञान तथा पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं ताकि प्रार्थी के हिस्से की भूमि को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो। जिस पर प्रार्थी ने उक्त खसरा संख्या 950/420 का सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार लूणी के समक्ष आवेदन किया जिस पर दिनांक 02.07.2024 को सीमाज्ञान किया गया लेकिन अप्रार्थी संख्या एक अनावश्यक ही मौके पर विवाद करने लग गया एवं सीमाज्ञान अनुसार उक्त खसरा संख्या 950/420 के मुटामात कायम नहीं करने दिये। स्थायी मुटाम के अभाव में प्रार्थीगण के खसरा की सीमाओं को लेकर आये दिन विवाद होते रहते हैं इसलिये प्रार्थी वास्ते स्थायी सीमाचिन्हों की पत्थरगढ़ी करवाकर उक्त खसरें की भूमि को सुरक्षित करवाना चाहता हैं अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम हनुमाननगर, तहसील लूणी के खसरा संख्या 950/420 कुल रकबा 0.4208 हैक्टेयर की सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी किये जाने का निवेदन किया है।

वही एक अन्य प्रार्थना पत्र संख्या 102/2024 अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि खातेदारी कब्जा सुदा कृषि भूमि खसरा नंबर 949/420 रकबा 2.5253 हेक़्टर वाके ग्राम हनुमाननगर तहसील लूणी में स्थित भूमि में प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज है। उपरोक्त भूमि मूल खसरा नंबर 420 का भाग था जो बाद विभाजन अलग अलग खातो में दर्ज होने से वर्तमान जमाबन्दी एवम् खाते के अनुसार खसरा नंबर 949/420 रकबा 2.5253 हेक्टर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवम् कब्जे काश्त में रही। भविष्य में किसी तरह का विवाद न हो इस कारण से प्रार्थी द्वारा तहसीलदार लूणी के समक्ष अपनी भूमि का सीमाज्ञान बाबत आवेदन किये जाने पर दिनांक 20.05.2024 को सीमाज्ञान करते हुए सीमाये निर्धारित की। प्रार्थी किसी तरह का विवाद नहीं चाहता और अपने खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 949/420 रकबा 2.5253 हेक्टर पर पत्थरगढी करवा कर स्थाई मुटाम कायम करवाना चाहता है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 949/420 रकबा 2.5253 हेक्टर वाके ग्राम हनुमाननगर तहसील लूणी की सीमा ज्ञान रिपोर्ट दिनांक 20.05.2024 के आधार पर पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किये जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस की विधिवत तामिल प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गई। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के संबंध में अपना जवाब पेश नहीं किया गया। तहसीलदार लूणी को उक्त प्रार्थना पत्रों के संबंध में तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट/जवाब पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई जिस पर तहसीलदार लूणी द्वारा अपने पत्र कमांक कोर्ट/2025/1934 दिनांक 27.06.2025 के द्वारा दोनों प्रकरणों में अपना जवाब/मौका जांच रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल मिसल की गई। तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट के अनुसार विभक्त खसरा संख्या 420 का रकबा 1.7644 हैक्टेयर जमाबंदी में दर्ज है, जिसमे मौके पर 0.9622 हैक्टर भूमि ही है, शेष भूमि वर्तमान में खसरा संख्या 420/2 की माठ में मिला रखी है जो कि कब्जे में नहीं है। खसरा संख्या 949/420 का रकबा 2.5253 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 950/420 का रकबा 0.4208 हैक्टयर जमाबंदी में दर्ज है। उक्त दोनों खसरा का मौके पर कायम माठों के अनुसार

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

नाम 2.5450 हैक्टेयर ही है। खसरा संख्या 949/420 का डीआईएलआरएमपी भू–नक्शा में तरमीम अनुसार रकबा 2.4105 हैक्टर एवं खसरा संख्या 950/420 का डीआईएलआरएमपी भू–नक्शा में तरमीम अनुसार रकबा 0.3951 हैक्टर है, यानि कुल 2.8056 हैक्टर है। खसरा संख्या 949/420, 950/420 का कुल जमाबंदी अनुसार रकबा 2.9461 हैक्टर व डीआईएलआरएमपी भू–नक्शा में तरमीम अनुसार रकबा 2.8056 हैक्टर व मौके पर कायम माठों के अनुसार नाप का रकबा 2.5450 हैक्टर है। मौका व डीआईएलआरएमपी भू–नक्शा में तरमीम के रकबे में अंतर 0.2606 हैक्टर एवं मौका कब्जा एवं जमाबंदी में दर्ज रकबे में अंतर 0.4011 हैक्टेयर हैं। खसरा संख्या 949/420 का रकबा उत्तर दिशा (यानि 420/2) की तरफ कम है जो कि रकबे के अनुसार 0.3607 हैक्टर कम है। उक्त दोनों प्रार्थना पत्र समान विषयवस्तु एवं खसरा नंबर 420 एवं इसके बट्टा नंबर से संबंधित होने के कारण दोनों प्रकरणों को एक साथ संयोजित कर निर्णय किया जा रहा है।

दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी एव अप्रार्थीगण के मध्य स्थित सीमा को लेकर विवाद की स्थिति प्रतीत होती है। एक खातेदार को अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान एव स्थाई मुटाम करवाने का अधिकार प्राप्त हैं। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार मौका फर्द दिनांक 19.06.2025 को प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि वाके राजस्व ग्राम हनुमाननगर, तहसील लूणी में खसरा संख्या 950/420 की कुल रकबा 0.4208 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 949/420 रकबा 2.5253 का सीमाज्ञान किया जा चुका हैं लेकिन पत्थरगढ़ी नहीं की गयी हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाते है।

अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम के स्वीकार किये जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम हनुमाननगर, पटवारी हल्का फिंच, तहसील लूणी के खसरा संख्या 950/420 की कुल रकबा 0.4208 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 949/420 रकबा 2.5253 कृषि भूमि की जमाबंदी में दर्ज हिस्से एवं राजस्व नक्शे एवं मौका फर्द दिनांक 19.06.2025 के अनुसार पत्थरगढ़ी किया जाकर पालना से न्यायालय को अवगत करवाएंगे। मौका रिपोर्ट दिनांक 19.06.2025 आदेश का अभिन्न अंग समझा जावे। आदेश लिखवाया जाकर सुनाया गया। आदेश की अलग–अलग प्रति संबंधित पत्रावली में लगाया जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

(पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी जोधपुर